[2022] 18 एस. सी. आर 351

क.

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. v.

B. सुब्बा रायडू और अन्य

(2021 की विशेष अवकाश याचिका (सी) संख्या 1565-66) 14 सितंबर, 2022

[इंदिरा बनर्जी और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन-प्रत्यर्थी का आवंटन सं।1 तेलंगाना राज्य को-दिनांक 14.01.2016 के एक आदेश द्वारा, संबंधित मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रत्यर्थी को आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किया-उच्च न्यायालय ने 14.01.2016 से तेलंगाना राज्य को प्रत्यर्थी को आवंटित करने के लिए दिनांकित 14.01.2016 के उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाःमान लीजिए, आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के समय, प्रत्यर्थी नं.1 तेलंगाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में तैनात किया गया था-उत्तरदाता नं।1 एक विकल्प का प्रयोग करने की आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया और तेलंगाना राज्य का चयन किया-दिशानिर्देशों के अनुसार, आवंटित कर्मचारियों पर 01.06.2014 के अनुसार वरिष्ठता के आधार पर विचार किया जाना था-प्रतिवादी संख्या 1 तेलंगाना का विकल्प चुनने वाले अधिकांश कर्मचारियों में वरिष्ठ था-प्रतिवादी संख्या की पत्नी।1 आंध्र प्रदेश लोक रोजगार आदेश 1975 के साथ पढ़े गए दिशानिर्देशों की संभावित व्याख्या पर और विशेष रूप से, उसके पैराग्राफ 4 पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 तेलंगाना राज्य का स्थानीय उम्मीदवार था-स्वीकार्य रूप से, प्रतिवादी संख्या।1 इस देश का नागरिक है-भारत के नागरिक के रूप में, प्रत्यर्थी को अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का मौलिक अधिकार है-आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 या इसके तहत बनाए गए कोई अन्य दिशानिर्देश, जिसमें <आई. डी. 1 पर प्रसारित दिशानिर्देश शामिल हैं, नागरिकों से देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं-जब कोई राज्य विभाजित हो जाता है और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को दोनों राज्यों को आवंटित किया जाना होता है, तो ऐसा आवंटन नियमों और विनियमों और दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाना चाहिए-हालाँकि, ऐसे नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से समझा जाना चाहिए।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

आंध्र प्रदेश लोक रोजगार आदेश, 1975 के साथ पठित भारतीय संविधान के दर्शन के आलोक में, जो विभाजन के समय लागू था, प्रत्यर्थी पर लागू होता है, उच्च न्यायालय उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रत्यर्थी तेलंगाना का एक स्थानीय उम्मीदवार था और दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 18 (एफ) के संदर्भ में अपनी वरिष्ठता के अनुसार आवंटन का हकदार था-आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014-आंध्र प्रदेश लोक रोजगार आदेश, 1975-भारत का संविधान-अनुच्छेद 19 (1) (ई)।

विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** हालाँकि, उत्तरदाता संख्या **1** को तेलंगाना राज्य के लिए उनके विकल्प की अनदेखी करते हुए और **30** अक्टूबर **2014** को **G.O.Ms** संख्या **312** द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किया गया था।आबंटन पैराग्राफ **18** के खंड **(**च**)** की आवश्यकता का भी उल्लंघन था जिसमें निर्देश दिया गया था कि आबंटन वरिष्ठता के क्रम में किया जाएगा जो उपलब्ध है।प्रत्यर्थी संख्या **1** की ओर से, यह उचित रूप से तर्क दिया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या **1** के पति/पत्नी, जो तेलंगाना राज्य में पैदा हुए और शिक्षित हुए थे, उन्हें तेलंगाना राज्य के स्थानीय उम्मीदवार के रूप में माना जाना था।एक पति या पत्नी के रूप में, प्रतिवादी संख्या **1** को तेलंगाना राज्य को आवंटित किया जाना चाहिए था।**[**पारस **49-50] [371-B, D-E]**

ग

डी.

ई.

2. मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के समय याचिकाकर्ता को तेलंगाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में तैनात किया गया था।याचिकाकर्ता को एक विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया।यह विवाद में नहीं है कि कुल **23** पदों में से **9** पद तेलंगाना राज्य को और **14** आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किए गए थे।दिशानिर्देशों के अनुसार, आवंटित कर्मचारियों पर **1** जून **2014** को वरिष्ठता के आधार पर विचार किया जाना था।**[**पैरा **56] [377-**सी**]**

च

3. जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया, याचिकाकर्ता की स्थिति **1** जून **2014** को आंध्र प्रदेश के समग्र राज्य में चौथी असंवेदनशीलता थी।उनसे वरिष्ठ **3** लोग आंध्र प्रदेश के स्थानीय उम्मीदवार थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश को चुना था।तेलंगाना को चुनने वाले अधिकांश कर्मचारियों में उत्तरदाता संख्या **1** वरिष्ठ थे।उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या **1** ने "अजीब ए" पर तेलंगाना को आवंटन से इनकार कर दिया था।

जी.

एच.

353

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. v.बी. सुब्बा रायडू और अन्य ए

दिशानिर्देशों के अनुच्छेद **18** के खंड **(**च**)** की व्याख्या, जिसमें वरिष्ठता को कोई महत्व नहीं दिया गया है।उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर पाया कि इस तथ्य को कोई महत्व नहीं दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या **1** का जीवनसाथी तेलंगाना का स्थानीय था।**[**पैरा **57] [377-**डी**-**ई**]**

4. आंध्र प्रदेश लोक रोजगार आदेश **1975** और विशेष रूप से उसके पैराग्राफ **4** के साथ पढ़े गए दिशानिर्देशों की संभावित व्याख्या पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या **1** तेलंगाना राज्य का स्थानीय उम्मीदवार था।मान लीजिए, उन्होंने तेलंगाना राज्य के खम्मम में आठवीं से दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की।इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक और पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर किया।उन्होंने **1985** से **1992** तक **7** साल तक उस संस्थान में अध्ययन किया, जिस वर्ष वे योग्यता परीक्षा में शामिल हुए थे।**[**पैरा **58] [377-**एफ**-**जी**]5.** संविधान के तहत, भारत राज्यों का एक संघ है।प्रत्येक राज्य का प्रत्येक भाग भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है।मान लीजिए, प्रत्यर्थी का जन्म भारत में हुआ था।भारत के क्षेत्र में उनका अधिवास है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ मामले में भारतीय संविधान के तहत अभिनिर्धारित किया गया है, देश का केवल एक अधिवास है अर्थात अधिवास है और किसी राज्य के लिए कोई अलग अधिवास नहीं है।**[**पैरा **59] [377-**एच**; 378-**ए**]**

ग

डी.

ई.

6. यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी का भारत के क्षेत्र में अधिवास है और वह भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था।मान लीजिए**,** वह इस देश का नागरिक है।भारत के नागरिक के रूप में**,** प्रतिवादी को अनुच्छेद **19 (1) (**ई**)** के तहत भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का मौलिक अधिकार है।**[**पैरा **63] [378-**ई**-**एफ**]**

च

7. भारत के संविधान के अनुच्छेद **13 (2)** के तहत राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से मना किया गया है जो भारत के संविधान के भाग **III** द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या उनका उल्लंघन करता है और अनुच्छेद **13 (2)** के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून**,** उल्लंघन की सीमा तक अमान्य होगा।**[**पैरा **64] [378-**एफ**-**जी**]**

जी.

एच.

8. आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम**, 2014** या इसके तहत बनाए गए किसी भी अन्य दिशानिर्देश**,** जिसमें **30.10.2014** पर प्रसारित दिशानिर्देश शामिल हैं**,** नागरिकों से देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं।**[**पैरा **66] [379-**ए**]9.** यह सच है कि जब किसी राज्य को विभाजित किया जाता है और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को दोनों राज्यों को आवंटित किया जाता है**,** तो ऐसा आवंटन नियमों और विनियमों के आधार पर और दिशानिर्देशों द्वारा किया जाता है।**[**पैरा **67] [379-**बी**]10.** हालाँकि**,** ऐसे नियमों**,** विनियमों और दिशानिर्देशों को भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए। यह सच है कि प्रतिवादी का जन्म एक ऐसे क्षेत्र में हुआ होगा जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और हो सकता है कि उसने अपनी शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में प्राप्त किया हो जो अब आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा हैं।उन्होंने तेलंगाना राज्य के भीतर के क्षेत्रों से सभी बोर्ड और विश्वविद्यालय परीक्षाओं को पास किया।विभाजन के समय**,** वह हैदराबाद में तैनात थे**,** जो अब तेलंगाना का हिस्सा है।**[**पैरा **68] [379-**सी**-**डी**]**

ग

डी.

11. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों को कर्मचारियों और अधिकारियों के आवंटन के लिए **30.10.2014** पर प्रसारित दिशा**-**निर्देश निर्देशिका हैं और लचीले नहीं हैं।आंध्र प्रदेश लोक रोजगार आदेश**, 1975** के साथ पठित भारतीय संविधान के दर्शन के आलोक में दिशानिर्देशों की उदार व्याख्या पर**,** जो विभाजन के समय लागू था**,** और उपरोक्त दिशानिर्देशों के तहत भी प्रतिवादी पर लागू होता है**,** उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी तेलंगाना का एक स्थानीय उम्मीदवार था और दिशानिर्देशों के पैराग्राफ **18 (**एफ**)** के संदर्भ में अपनी वरिष्ठता के अनुसार आवंटन का हकदार था।इसके अलावा**,** निश्चित रूप से**,** प्रतिवादी का जीवनसाथी तेलंगाना का एक स्थानीय उम्मीदवार था।**[**पैरा **69] [379-**डी**-**एफ**]**

ई.

च

जी.

196 :[2007] 2 एस. सी. आर. 419; मेसर्स बंगाल केमिकल एंड

फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनामउनके कर्मचारी **AIR 1959 A**

एच.

355

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. v.बी. सुब्बा रायडू और अन्य ए

एससी 633:[1959] पूरक।एस. सी. आर. 136; कुन्हयमद और

ओआरएस**.** वी**.**केरल राज्य और एक अन्य **(2000) 6** एस**.** सी**.** सी**. 359**

:[2000] 1 पूरक।एस. सी. आर. 538; बॉम्बे बनाम रूसी

मिस्त्री ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 391; नगर निगम बोर्ड, प्रतापगढ़ और एक अन्य बनाम महेंद्र सिंह चावला और अन्य (1982) 3 एस. सी. सी. 331; चंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य

ए. आई. आर 2003 एस. सी 2889:[2003] 1 पूरक।एस. सी. आर. 674; डॉ.

प्रदीप जैन बनाम भारत संघ ए**.** आई**.** आर **1984** एस**.** सी**. 1420:**

[1984] 3 एस**.** सी**.** आर**. 942-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

[2007] 2 एससीआर **419**

संदर्भित किया गया है

पैरा **32**

ग

[1959] पूरक।एससीआर **136**

संदर्भित किया गया है

पैरा **33**

[2000] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 538** को संदर्भित किया गया

पैरा **34**

[2003] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 674** संदर्भित

पैरा **34**

डी.

[1984] 3 एससीआर **942**

संदर्भित किया गया है

पैरा **59**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 1565-66।

2017 के डब्ल्यू. पी. (टी. आर.) संख्या 5482 और 2017 के डब्ल्यू. पी. 24820 में हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय के दिनांक 08.12.2020 के निर्णय और आदेश से।

ई.

एम/एस वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स के लिए अमन लेखी, ए. एस. जी., पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी, सुश्री शिखा संधू, पी. श्रीनिवास रेड्डी, अधिवक्ता।याचिकाकर्ताओं के लिए।

सुश्री वी. मोहना, के. एम. नटराज, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सादिनेनी रवि कुमार, जयेंद्र बालाजी, एम. वी. रामा, श्रीमती अंजनी अय्यगारी, महफूज अहसान नाज़की, पोलंकी गौतम, शेख मोहम्मद हनीफ, टी. विजय भास्कर रेड्डी, अमिताभ सिन्हा, के. वी. गिरीश चौधरी, सुश्री सरूपमा चतुर्वेदी, सुश्री नीरा केदार गोखले, सचिन शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, गुरमीत सिंह मक्कर, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

च

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी**,** जे**.**

ये विशेष अनुमति याचिकाएं 8 दिसंबर 2020 के अंतिम फैसले और आदेश के खिलाफ हैं, जिसके तहत तेलंगाना राज्य और हैदराबाद में आंध्र प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय ने अनुमति दी थी।

एच.

356

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 18 एस सी आर।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिकाएँ रिट याचिका (टी. आर.) हैं। 2017 की सं. 5482 और 2017 की रिट याचिका सं. 24820 ने कार्मिक, स्नातकोत्तर और पेंशन मंत्रालय के 14 जनवरी 2016 के एफ. सं. 29/01/2016-एस. आर. (एस) होने के आदेश को दरकिनार कर दिया और कार्मिक, स्नातकोत्तर और पेंशन मंत्रालय को 14 जनवरी 2016 से तेलंगाना राज्य को प्रतिवादी आवंटित करने का निर्देश दिया।तेलंगाना राज्य को तेलंगाना राज्य के पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक-वर्ग ए के संवर्ग में उत्तरदाता को नियुक्ति देने और निर्णय और आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक-वर्ग ए के रूप में उत्तरदाता को वेतन देने का निर्देश दिया गया था।

ग

2. अनुसूचित जनजाति के सदस्य, उत्तरदाता संख्या 1 ने अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य के पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक-वर्ग ए का राज्य संवर्ग का पद संभाला था।श्रीमती. उत्तरदाता संख्या 1 की पत्नी बी. शांतिबाई भी राज्य सरकार की कर्मचारी थीं जो उसी राज्य में सहायक पंजीयक के रूप में काम कर रही थीं।

डी.

3. 4 मार्च 2014 की एक अधिसूचना द्वारा, केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 को अधिसूचित किया, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य को दो राज्यों में विभाजित किया गया-नया राज्य तेलंगाना और शेष राज्य आंध्र प्रदेश, जो 2 जून 2014 से प्रभावी हुए।

ई.

4. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 80 के संदर्भ में, केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2014 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें क्रमशः तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों को कर्मचारियों के आवंटन के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

च

5. उक्त दिशानिर्देशों और विशेष रूप से पैराग्राफ संख्या 12 खंड (vii) के अनुसार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच संवर्ग संख्या का वितरण करते समय किसी भी आवंटित पद को नहीं छोड़ा जाना था।6. जी. ओ. Ms.312 दिनांक 30 अक्टूबर 2014 के एक परिपत्र द्वारा, आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं में राज्य सरकार के कर्मचारियों के अंतिम आवंटन के लिए अनुमोदित दिशानिर्देश प्रसारित किए।दिशानिर्देशों के कुछ प्रासंगिक प्रावधान सुविधा के लिए नीचे दिए गए हैं:

जी.

"18. निम्नलिखित सिद्धांत और प्रक्रिया कर्मियों के अंतिम आवंटन का मार्गदर्शन करेंगे:

एच.

357

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. v.बी. सुब्बा रायडू और अन्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

क.

क) वे व्यक्ति जो नियत दिन से तुरंत पहले मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य के मामलों के संबंध में मूल आधार पर सेवा कर रहे हैं, उन्हें आवंटन के लिए माना जाएगा, 'नियत दिन' से तुरंत पहले विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर पद धारण करने वाले कर्मचारियों को 'नियत दिन', यदि कोई हो, पर उनके द्वारा धारण किए गए मूल पदों (या नियमित) के खिलाफ माना जाएगा।

ख) कर्मचारियों का आवंटन उत्तराधिकारी राज्यों के परामर्श से और केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तावित रिक्त पदों सहित पदों के अंतिम वितरण पर आधारित होगा।ग) 1 जून, 2014 को उपलब्ध वरिष्ठता सूची के आधार पर उत्तराधिकारी राज्यों के बीच आवंटन के लिए आबंटित कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा।

ग

डी)।उत्तराधिकारी राज्यों में से किसी को भी कर्मचारी आवंटित नहीं किए जाने का कोई मामला नहीं होगा।

डी.

ङ) राज्य सेवा कर्मचारी जो आबंटित पदों पर हैं, उन्हें उनके विकल्प पर विचार करने के बाद उत्तराधिकारी राज्यों में से किसी एक में सेवा करने के लिए उनकी पसंद का संकेत देने वाले कर्मचारियों से विकल्प मांगने के बाद आवंटित किया जाएगा।

ई.

च) आवंटन **1** जून**, 2014** को उपलब्ध वरिष्ठता के क्रम में किया जाएगा।जिन लोगों ने चुना है**,** जो उस राज्य से संबंधित 'स्थानीय उम्मीदवार' हैं**,** जिसे उन्होंने चुना है**,** उनकी वरिष्ठता के क्रम में**,** पहले आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।यदि उस श्रेणी में आबंटित पद बने रहते हैं**,** तो राज्य को चुनने वाले अन्य लोगों को वरिष्ठता के क्रम में आवंटित किया जा सकता है।यदि अभी भी पद बने रहते हैं तो आवंटन वरिष्ठता के विपरीत क्रम में किया जाएगा।

च

...

ज) जो कर्मचारी दोनों राज्यों के संबंध में स्थानीय नहीं हैं, उन्हें उचित सत्यापन और प्रमाणन के बाद जन्म स्थान या गृह जिले के आधार पर आवंटित किया जाएगा।मूल रूप से अन्य राज्यों के लोगों को उनके विकल्प पर विचार करने के बाद मामले-दर-मामले के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

जी.

एच.

358 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

i) जो कर्मचारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, यदि वे स्थानीय उम्मीदवार हैं तो उनके विकल्प के आधार पर आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।यदि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी ने अपने विकल्प का उपयोग नहीं किया है या जहां उसे इस प्रकार आवंटित नहीं किया गया है, तो उसे उस राज्य को आवंटित किया जाएगा जहां उसकी जाति या जनजाति, यथास्थिति, राज्य की संबंधित अनुसूची में शामिल है।...

के) एक अखिल भारतीय सेवा (ए. आई. एस.) अधिकारी के पति या पत्नी, जो राज्य संवर्ग से संबंधित हैं या राज्य सरकार के संस्थान के कर्मचारी हैं, को उस राज्य को आवंटित किया जाएगा, जहां पति या पत्नी चाहते हैं, जिसे ए. आई. एस. अधिकारी आवंटित किया गया है।

ग

I) सरकार या राज्य सरकार के संस्थानों**,** स्थानीय निकायों में राज्य संवर्ग में पति या पत्नी और जिन्हें अधिनियम के अनुसार आवंटित माना जाता है**,** उन्हें उनके द्वारा किए गए विकल्पों और उनकी स्थानीय उम्मीदवारी पर विचार करने के बाद**,** जहां तक संभव हो**,** उसी राज्य को आवंटित किया जाएगा।पति या पत्नी जो किसी राज्य के स्थानीय उम्मीदवार हैं**,** उन्हें उस राज्य को आवंटित किया जाएगा।अलग**-**अलग राज्यों के रहने वाले जीवनसाथी को उनके विकल्पों पर विचार करने के बाद आवंटित किया जा सकता है।

डी.

ई.

...

एन**)** स्थानीय उम्मीदवारी आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार **(**स्थानीय संवर्ग संगठन और प्रत्यक्ष भर्ती विनियमन**)** आदेश**, 1975** के तहत परिभाषित की जाएगी**,** जैसा कि स्कूल रिकॉर्ड के सख्त संदर्भ के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।जबकि समिति स्थानीय उम्मीदवारी के प्रथम दृष्टया प्रमाण के रूप में सेवा रजिस्टर में की गई प्रविष्टि को ध्यान में रख सकती है**,** यह सरकार या समिति के लिए कर्मचारी की स्थानीय उम्मीदवारी की स्थिति की वास्तविकता को सख्त सत्यापन के अधीन करने के लिए खुला होगा।स्थानीय उम्मीदवारी का झूठा दावा या गुमराह करने के इरादे से झूठा प्रमाण पत्र पेश करना एक आपराधिक अपराध के रूप में दंडनीय होगा और बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अधीन भी होगा।

च

जी.

... ए.

एच.

359

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. v.बी. सुब्बा रायडू और अन्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

एस) प्रतिनियुक्ति/कार्यकाल के आधार पर दूसरे विभाग या संगठन में काम करने वाले एक विभाग की आवंटित श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों को अधिकारी के मूल विभाग द्वारा आवंटित किया जाएगा।

x) राज्यों को कार्मिकों का वास्तविक आवंटन जनहित और राज्यों में पदों की प्रशासनिक आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

19. समिति कर्मचारियों के आवंटन के लिए इसके बाद उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करेगीः

आई. सभी कर्मचारियों को इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में अपने विकल्पों का उपयोग करने के लिए कहा जाएगा और अपना विधिवत भरा हुआ विकल्प प्रपत्र सदस्य सचिव, सलाहकार समिति, जी. ए. राज्य पुनर्गठन विभाग को भेजने के लिए कहा जाएगा।ए पी सचिवालय इलेक्ट्रॉनिक रूप से और उचित चैनल के माध्यम से सार्वजनिक अधिसूचना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर किसी भी राज्य के लिए अपनी पसंद का संकेत देता है।

ग

डी.

ii.विकल्पों के लिए पत्र बुलाने का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।व्यापक प्रचार के लिए पत्र की एक प्रति सार्वजनिक क्षेत्र में भी रखी जाएगी।iii. कर्मचारी, जो ऊपर निर्दिष्ट उत्तराधिकारी राज्यों में से किसी एक को आवंटन के लिए पात्र हैं, वे सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों के माध्यम से सलाहकार समिति के सदस्य सचिव को संबोधित अपना विकल्प प्रपत्र आंध्र प्रदेश राज्य सामान्य प्रशासन राज्य पुनर्गठन विभाग को प्रस्तुत करेंगे।

ई.

च

iv.विकल्प प्रपत्रों में दिए गए बयानों की जांच की जाएगी और उसमें दिए गए बयान की तथ्यात्मक सटीकता उस विभाग के प्रमुख द्वारा प्रमाणित की जाएगी जिसके तहत कर्मचारी काम कर रहा है।इस प्रकार प्रमाणित प्रपत्र एपी सरकार के जीए (एसआर) विभाग को वितरित किए जाएंगे।

जी.

v. यदि निर्धारित समय के भीतर कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है, या जहां कोई कर्मचारी दोनों राज्यों में से किसी एक को आवंटित होने का इच्छुक है, तो ऐसे व्यक्ति को अन्य मानदंडों के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

एच.

vi)एक बार प्रयोग किए गए विकल्प को किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकता है।

vii.पदों के वितरण को अंतिम रूप देने के बाद, सलाहकार समिति संबंधित विभागों और ए. पी. सरकार के जी. ए. राज्य पुनर्गठन विभाग की मदद से सभी कर्मचारियों के लिए एक अस्थायी आवंटन सूची तैयार करेगी, चाहे उन्होंने विकल्प का प्रयोग किया हो या नहीं।सलाहकार समिति के सदस्य सचिव अपने कर्मचारियों की जानकारी के लिए और ऐसे कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए, इस तरह के संचार की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर संबंधित उत्तराधिकारी राज्य सरकार को अस्थायी आवंटन सूची प्रसारित करेंगे।आंध्र प्रदेश के जी. ए. राज्य पुनर्गठन विभाग को सलाहकार समिति की ओर से अस्थायी आवंटन सूची जारी करने की आवश्यकता है।सूची को व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाएगा और कर्मचारियों को उनके अस्थायी आवंटन के खिलाफ प्रतिनिधित्व आमंत्रित करने के लिए प्रसारित किया जाएगा।

ग

डी.

20. अस्थायी आवंटन के खिलाफ अभ्यावेदन निम्नलिखित तरीके से प्राप्त और निपटाया जा सकता हैः

आई. एक कर्मचारी जो सलाहकार समिति द्वारा तैयार किए गए अपने अस्थायी आवंटन से व्यथित महसूस करता है, वह आंध्र प्रदेश राज्य में गठित राज्य पुनर्गठन विभाग को एक प्रति के साथ उत्तराधिकारी राज्य के मुख्य सचिव को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें वह सेवारत है।

ई.

ii.एक कर्मचारी का प्रतिनिधित्व स्व-निहित होना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से शिकायत के विशिष्ट बिंदुओं को इंगित करता है और इसे सलाहकार समिति को संबोधित किया जाना चाहिए।संबंधित प्रशासनिक विभाग प्रतिनिधित्व पर अपने विचार प्रस्तुत करेगा और इसे आंध्र प्रदेश सरकार के जी. ए. राज्य पुनर्गठन विभाग को भेजेगा।उत्तराधिकारी आंध्र प्रदेश राज्य कानून, नियमों और आदेशों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त अभ्यावेदनों पर प्रशासनिक विभाग की टिप्पणियों के आलोक में अपनी आधिकारिक टिप्पणियां प्रस्तुत करेगा और उन्हें सलाहकार समिति के आगे के विचार के लिए भेजेगा।

च

जी.

एच.

361

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. v.बी. सुब्बा रायडू और अन्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

क.

iv.सलाहकार समिति दोनों राज्यों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक में संबंधित प्रशासनिक विभाग के विचार लेने के बाद कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व पर विचार करेगी।इसके बाद इस मामले में अंतिम विचार लेने के लिए सलाहकार समिति की सिफारिशों के साथ सिफारिशों को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 77 के तहत अंतिम आवंटन आदेश जारी करेगी जिसमें कर्मचारियों को किसी भी राज्य में आवंटित किया जाएगा।

ग

vi)केंद्र सरकार के पास अधिनियम के तहत जारी किए गए अपने किसी भी आदेश की समीक्षा करने की शक्ति होगी।

vii.समिति के सदस्य सचिव इस संबंध में सलाहकार समिति का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।"

डी.

7. पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक-वर्ग ए के संवर्ग में पदों की स्वीकृत संख्या 23 थी, जिनमें से 13 पद आंध्र प्रदेश को और 10 पद तेलंगाना को आवंटित किए गए थे।विभाजन के समय 23 में से दो पद खाली थे।

ई.

8. 7 मार्च 2015 को, प्रत्यर्थी ने तेलंगाना राज्य को आवंटन का विकल्प चुना।समय के भौतिक बिंदु पर, प्रतिवादी प्रतिनियुक्ति पर परियोजना निदेशक, एटीएमए, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद के रूप में काम कर रहा था।हालाँकि, 12 जून 2015 की अधिसूचना संख्या 21105-बी/एस. आर. आई./ए. आई./2014-4 द्वारा, प्रतिवादी को अस्थायी रूप से आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किया गया था।प्रत्यर्थी ने जी. ए. डी. (एस. आर.), विभाग, अधिसूचना संख्या 21105/बी/एस. आर. आई./2014-4 के अनुसार 26 जून 2015 को आंध्र प्रदेश राज्य को अपने अस्थायी आवंटन के खिलाफ अपनी आपत्ति प्रस्तुत की।

च

9. 26 जून 2015 को, प्रत्यर्थी ने एक अभ्यावेदन दिया कि उसे तेलंगाना राज्य का एक स्थानीय उम्मीदवार माना जाए। प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया गया।भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्मिक, स्नातकोत्तर और पेंशन मंत्रालय ने 14 जनवरी 2016 के एक आदेश संख्या 5 (2)/2016 द्वारा प्रत्यर्थी को आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किया।

जी.

एच.

10. प्रत्यर्थी ने भारत सरकार द्वारा 14 जनवरी 2016 को जारी किए गए उपरोक्त आवंटन आदेश को चुनौती देते हुए आंध्र प्रदेश में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष ओ. ए. No.209/2016 होने के नाते एक आवेदन दायर किया।29 जनवरी 2016 को, प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने आवेदन में नोटिस जारी किया और इस आशय का एक अंतरिम आदेश पारित किया कि आंध्र प्रदेश राज्य को प्रतिवादी का अंतिम आवंटन मूल आवेदन के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।

11. 4 फरवरी 2016 के एक आदेश द्वारा तेलंगाना सरकार के पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन विभाग ने प्रतिवादी को मुक्त कर दिया।5 फरवरी 2016 के एक आदेश द्वारा, तेलंगाना सरकार, पशुपालन विभाग ने प्रतिवादी संख्या 1 को आगे की नियुक्ति के लिए विभाग के प्रमुख, आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया।

ग

12. प्रत्यर्थी ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित 29 जनवरी 2016 के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में 2016 की रिट याचिका संख्या 4391 के रूप में एक रिट याचिका दायर की।16 फरवरी 2016 के एक आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 2016 की रिट याचिका संख्या 4391 को अनुमति दी और मामले को नए सिरे से विचार के लिए न्यायाधिकरण को वापस भेज दिया और न्यायाधिकरण को दोनों पक्षों को सुनने के बाद, दो सप्ताह के भीतर एक बोलने का आदेश पारित करने का निर्देश दिया।यह भी निर्देश दिया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को अंतर्वर्ती आवेदन के निपटारे तक उनके वर्तमान पद से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

डी.

ई.

13. तेलंगाना कृषि और सहयोग विभाग ने 16 जनवरी, 2017 को ज्ञापन संख्या 8356/कृषि (1)/2016 होने के कारण उत्तरदाता संख्या 1 को तत्काल प्रभाव से उसके मूल विभाग को रिपोर्ट करने के निर्देशों के साथ वापस भेज दिया।

च

14. 7 मार्च 2017 को, प्रत्यर्थी ने कृषि विभाग के आयुक्त और निदेशक को सूचित किया और परियोजना निदेशक, ए. टी. एम. ए., रंगा रेड्डी जिले का पूरा प्रभार श्री वाई. सुधाकर रेड्डी को सौंप दिया।

15. उसी तारीख यानी 7 मार्च 2017 को प्रत्यर्थी को परियोजना निदेशक, ए. टी. एम. ए., रंगा रेड्डी जिले के पद से मुक्त कर दिया गया और उन्हें प्रभार हस्तांतरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया।

जी.

16. 2017 में, तेलंगाना राज्य के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण को समाप्त कर दिया गया था और प्रतिवादी द्वारा दायर ओ. ए. संख्या 209/2016 होने का मामला तेलंगाना ए राज्य के लिए उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

एच.

363

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. v.बी. सुब्बा रायडू और अन्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

और हैदराबाद में आंध्र प्रदेश राज्य के लिए और 2017 की रिट याचिका (टी. आर.) संख्या 5482 के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया था।

17. 18 फरवरी 2017 के विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने दोनों रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कार्मिक, स्नातकोत्तर और पेंशन मंत्रालय की 14 जनवरी 2016 की एफ. नं. 29/01/2016-एस. आर. (एस) (अंतिम आवंटन आदेश) की कार्यवाही को खारिज कर दिया, जहां तक इसका संबंध प्रत्यर्थी संख्या 1 से है।

18. मंत्रालय को 14 जनवरी 2016 से तेलंगाना राज्य को प्रतिवादी संख्या 1 आवंटित करने का निर्देश दिया गया था और तेलंगाना राज्य को तेलंगाना राज्य के पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक, वर्ग-ए के संवर्ग में प्रतिवादी को तुरंत नियुक्ति देने और चार सप्ताह के भीतर उसका वेतन भी जारी करने का निर्देश दिया गया था।

ग

19. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री अमन लेखी ने प्रस्तुत किया कि आवंटन प्रत्यर्थी संख्या 5, यानी भारत सरकार द्वारा कानून द्वारा निर्धारित तरीके से किया गया था, यानी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 77 (2) और 80 के अनुसार, जिसे इसके बाद "2014 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसे 1 दिसंबर 2014 को जारी अंतिम आवंटन दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा गया था।

डी.

20. श्री लेखी ने प्रस्तुत किया कि 2014 के अधिनियम की धारा 77 (2) में प्रावधान है कि नियत दिन के बाद जितनी जल्दी हो सके, केंद्र सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उस उत्तराधिकारी राज्य का निर्धारण करेगी जिसे धारा 77 (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति को कर्मचारियों से प्राप्त विकल्प पर विचार करने के बाद अंततः सेवा के लिए आवंटित किया जाएगा, और वह तारीख जिससे ऐसा आवंटन प्रभावी होगा या प्रभावी माना जाएगा।उक्त का दूसरा और तीसरा परंतुक

ई.

च

खंड में प्रावधान है कि "जहां तक स्थानीय, जिला, क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्रीय संवर्गों का संबंध है, कर्मचारी उस संवर्ग में नियत दिन या उसके बाद सेवा करना जारी रखेंगेःबशर्ते कि स्थानीय, जिला, क्षेत्रीय और बहु क्षेत्रीय संवर्गों के कर्मचारी जो पूरी तरह से उत्तराधिकारी राज्यों में से किसी एक में आते हैं, उन्हें उस उत्तराधिकारी राज्य को आवंटित माना जाएगा।

जी.

21. श्री लेखी ने आगे कहा कि 2014 के अधिनियम की धारा 80 में सलाहकार समिति (ए. सी.) के गठन और केंद्र सरकार द्वारा आवंटन दिशानिर्देश जारी करने का प्रावधान है।आंध्र प्रदेश सरकार ने जी. ओ. एम. संख्या 312 दिनांक 29/30 दिसंबर, 2014 के माध्यम से

एच.

2014 अधिनियम की धारा 80 के तहत तैयार अंतिम आवंटन दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया गया। कर्मियों का आवंटन दिशानिर्देश 14-17 के तहत प्रदान किए गए तरीके से किया जाना था और आवंटन अंतिम आवंटन दिशानिर्देशों के दिशानिर्देश 18 में निर्धारित आवंटन के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना था।

22. यह विवाद में नहीं है कि आवंटन दिशानिर्देशों के दिशानिर्देश 18 (सी) के आधार पर, आवंटित कर्मचारियों में से आवंटन 1 जून, 2014 को उपलब्ध वरिष्ठता के क्रम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच किया जाना था।

23. हालाँकि, श्री लेखी ने कहा कि आवंटन केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं किया जाना था।जिस राज्य के लिए वे स्थानीय उम्मीदवारों को चुनते हैं, उनकी वरिष्ठता के क्रम में पहले विचार किया जाना चाहिए।यदि उस श्रेणी में आबंटित पद अभी भी बने हुए हैं, तो जिन अन्य लोगों ने विकल्प चुना है, उन्हें वरिष्ठता के क्रम में आवंटित किया जा सकता है।

ग

24. श्री लेखी ने तर्क दिया कि आवंटन पहले राज्य के उन स्थानीय उम्मीदवारों के बीच किया जाना था, जिन्होंने अपनी वरिष्ठता के क्रम में राज्य का चयन किया था और उसके बाद, यदि आवंटन योग्य पद अभी भी बने हुए हैं, तो उन पदों को राज्य का चयन करने वाले गैर-स्थानीय उम्मीदवारों में से वरिष्ठता के क्रम में भरा जाना था।

डी.

25. श्री लेखी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने इस आधार पर अपना विकल्प प्रस्तुत किया था कि वह राज्य संवर्ग का कर्मचारी था और उसकी पत्नी तेलंगाना राज्य में राज्य सरकार का कर्मचारी थी।श्री लेखी ने प्रस्तुत किया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच राज्य संवर्ग के कर्मचारियों की एक अस्थायी आवंटन सूची 12 जून, 2015 को तैयार और अधिसूचित की गई थी, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 को अस्थायी रूप से आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किया गया था।

ई.

च

26. कर्मचारियों को अस्थायी आवंटन के खिलाफ अभ्यावेदन/आपत्तियां दायर करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया था और प्रतिवादी संख्या 1 ने तेलंगाना राज्य के स्थानीय उम्मीदवार के रूप में माने जाने के लिए एक अभ्यावेदन दिया था।

27. 16 नवंबर 2015 को आयोजित बैठक में विभाग के प्रमुखों के परामर्श से आवंटन समिति द्वारा प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया था, लेकिन तेलंगाना को आवंटन के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के अनुरोध को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार नहीं किया गया थाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

“(i) वह आंध्र प्रदेश के 'स्थानीय उम्मीदवार' हैं।

((ii) पति या पत्नी के आधार पर तेलंगाना को आवंटन के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि उनकी पत्नी ए थी।

एच.

उन्हें पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश के जोन-II में नियुक्त किया गया था, जो पूरी तरह से आंध्र प्रदेश के उत्तराधिकारी राज्य के अंतर्गत आता था और उन्हें 2014 के अधिनियम की धारा 77 (2) के प्रावधानों के अनुसार आंध्र प्रदेश को आवंटित माना गया था।

(iii) उन्हें समायोजित करने के लिए तेलंगाना राज्य में कोई रिक्ति नहीं थी।"

28. श्री लेखी ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने निर्णय और आदेश में प्रतिवादी संख्या 1 को एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में वर्णित करने में गलती की और 2014 अधिनियम की धारा 77 (2) के तहत उनकी पत्नी की मानित नियुक्ति की अनदेखी की और रिक्तियों की अनुपस्थिति की अवहेलना की।29. श्री लेखी ने तर्क दिया कि पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक-वर्ग ए की श्रेणी में कैडर की संख्या 23 थी, जिसमें से 14 पद आंध्र प्रदेश को और 9 पद तेलंगाना को आवंटित किए गए थे।हालांकि संयुक्त निदेशक-वर्ग ए की श्रेणी में आवंटित कर्मचारियों की संख्या 27 थी और 27 कर्मचारियों में से 12 कर्मचारी, जो तेलंगाना राज्य के स्थानीय थे और जिन्होंने तेलंगाना राज्य का विकल्प भी चुना था, अंततः दिशानिर्देश 18 (एफ) में निहित प्रावधानों के अनुसार 9 पदों के मुकाबले तेलंगाना राज्य को आवंटित किए गए।30. श्री लेखी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1, जो आंध्र प्रदेश राज्य के 'स्थानीय उम्मीदवार' थे, को अंततः 14 जनवरी, 2016 को कार्मिक, स्नातकोत्तर और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किया गया था।

ग

डी.

ई.

31 प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित सुश्री मोहना ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और आदेश अच्छी तरह से तर्कपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

च

32. सुश्री मोहना ने तर्क दिया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 136 अपील का एक नियमित मंच नहीं बनाता है।यह केवल एक अवशिष्ट प्रावधान है जो इस न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश में अपने विवेकाधिकार से हस्तक्षेप करने में सक्षम बनाता है।

जी.

यह न्यायालय सूरियाकला बनाम ए**.** मोहनदास और अन्य में है। **1.**

1 (2007) 9 एस. सी. सी 196

एच.

366 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

33. मेसर्स बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स का हवाला देते हुए

लिमिटेड वी.उनके कर्मचारी 2, सुश्री मोहना ने तर्क दिया कि चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति विवेकाधीन थी, इसलिए यह न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत एक आदेश को रद्द करने के लिए बाध्य नहीं था, भले ही वह कानून के अनुरूप न हो।

34. सुश्री मोहना ने कुन्हयमद और ओआरएस**.** वी**.** का भी हवाला दिया।केरल राज्य और अन्य **3,** बॉम्बे राज्य बनाम रूसी मिस्त्री **4,** नगर निगम बोर्ड**,** प्रतापगढ़ और एक अन्य बनाम महेंद्र सिंह चावला और अन्य **5** और चंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य **6**।

35. सुश्री मोहना ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 तेलंगाना राज्य का एक स्थानीय उम्मीदवार था।किसी भी मामले में, उनकी पत्नी तेलंगाना की मूल निवासी थीं और तेलंगाना में तैनात थीं।इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 तेलंगाना राज्य को आवंटन के लिए 30 अक्टूबर 2014 के उक्त दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 18 (1) के तहत भी पात्र था।

ग

36. सुश्री मोहना ने 'स्थानीय उम्मीदवार' की परिभाषा का उल्लेख किया।आंध्र प्रदेश लोक रोजगार आदेश, 1975 के पैराग्राफ 7 में स्थानीय उम्मीदवार की परिभाषा में कहा गया हैः

डी.

" 1 किसी भी पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को स्थानीय क्षेत्र के संबंध में स्थानीय उम्मीदवार माना जाएगा।(क) उन मामलों में जहां पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है।

ई.

(i) यदि उसने ऐसे स्थानीय क्षेत्र में किसी शैक्षणिक संस्थान या शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम चार लगातार शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए अध्ययन किया है, जो उस शैक्षणिक वर्ष के साथ समाप्त होता है जिसमें वह उपस्थित हुआ था या, जैसा भी मामला हो, पहली बार प्रासंगिक योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था; या

च

((ii) जहां उस शैक्षणिक वर्ष के साथ समाप्त होने वाले लगातार चार शैक्षणिक वर्षों के पूरे या किसी भी भाग के दौरान, जिसमें वह उपस्थित हुए थे या जैसा भी मामला हो, पहले प्रासंगिक योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जिसका उन्होंने अध्ययन नहीं किया है।

जी.

2 ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 633 (635 पर) 3 (2000) 6 एस. सी. सी. 359

4 ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 391 (395 पर) 5 (1982) 3 एस. सी. सी. 331

6 ए. आई. आर 2003 एस. सी. 2889 ए

एच.

किसी भी शैक्षणिक संस्थान में, यदि वह उस योग्यता परीक्षा के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पहले कम से कम चार साल की अवधि के लिए उस स्थानीय क्षेत्र में रहता है, जिसमें वह उपस्थित हुआ था या पहली बार उपस्थित हुआ था।

(ख) ऐसे मामलों में जहां पद पर भर्ती के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, यदि वह उस स्थानीय क्षेत्र में उस स्थानीय क्षेत्र में कम से कम चार साल की अवधि के लिए रहता है, जिस तारीख को भर्ती के लिए पद अधिसूचित किया गया था।"

ग

37. सुश्री मोहना ने बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने तेलंगाना राज्य के खम्मम में आठवीं से दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। इसके बाद उन्होंने 1985 से 1992 तक पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, आंध्र प्रदेश, कृषि विश्वविद्यालय, राजेंद्रनगर, हैदराबाद (तेलंगाना) में पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक और पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर किया।सुश्री मोहना ने तर्क दिया कि तेलंगाना राज्य में लगातार 7 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उत्तरदाता संख्या 1 आंध्र प्रदेश

सार्वजनिक रोजगार (स्थानीय संवर्गों का संगठन और प्रत्यक्ष भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 (इसके बाद "आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार आदेश, 1975" के रूप में संदर्भित) के अर्थ में एक स्थानीय उम्मीदवार था।

डी.

ई.

38. सुश्री मोहना ने जोर देकर कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 को शुरू में 1993 में आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 1992 में जारी भर्ती अधिसूचना के माध्यम से एकीकृत राज्य आंध्र प्रदेश में आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से चेवेल्ला रंगा रेड्डी जिले, हैदराबाद में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

च

39. याचिकाकर्ता ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम 7 लगातार शैक्षणिक वर्षों की अवधि के लिए अध्ययन किया था, जो उस शैक्षणिक वर्ष के साथ समाप्त होता है जिसमें वह पहली बार प्रासंगिक योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ था और सीधे भर्ती द्वारा उसका चयन और नियुक्ति की गई थी।इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 को उस क्षेत्र के लिए एक स्थानीय उम्मीदवार के रूप में माना जाना चाहिए जिसमें हैदराबाद शहर आता है।

जी.

40. 30 अक्टूबर 2014 को जारी आंध्र प्रदेश राज्य दिशानिर्देशों के खंड 18 (एफ) का उल्लेख करते हुए, राज्य का अंतिम आवंटन

एच.

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में संवर्ग के कर्मचारी 1 जून 2014 को उपलब्ध वरिष्ठता के आधार पर किए जाएंगे।
41.सुश्री मोहना ने राज्य आवंटन दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 18 (i) का भी उल्लेख किया, जिसके तहत अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को उनके विकल्प के आधार पर आवंटन के लिए विचार किया जाना है, यदि वे स्थानीय उम्मीदवार हैं।यदि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ने अपने विकल्प का उपयोग नहीं किया है या जहां उसे इस प्रकार आवंटित नहीं किया गया है, तो उसे उस राज्य को आवंटित किया जाएगा जहां उसकी जाति या जनजाति, यथास्थिति, राज्य की संबंधित अनुसूची में शामिल है।

ग

42. सुश्री मोहना ने 30 अक्टूबर 2014 के दिशानिर्देशों के खंड 18 (च) पर जोर दिया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 1 जून 2014 को वरिष्ठता सूची के आधार पर उत्तराधिकारी राज्यों के बीच आवंटन के लिए आबंटित कर्मचारियों पर विचार किया जाएगा।वरिष्ठता सूची के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 1 का पद क्र. संख्या 4 पर था।उत्तरदाता संख्या 1 से वरिष्ठ सभी तीन कर्मचारियों को उनकी पसंद के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य आवंटित किया गया था।इस प्रकार उत्तरदाता नंबर 1 तेलंगाना राज्य का चयन करने के लिए अपने कैडर में सबसे वरिष्ठ था।सुश्री मोहना ने तर्क दिया कि भारत संघ ने प्रतिवादी संख्या 1 की वरिष्ठता को कोई महत्व नहीं दिया और तेलंगाना के मूल निवासी व्यक्तियों द्वारा रिक्तियों को भरा, जो स्पष्ट रूप से दिशानिर्देशों के खंड 18 (एफ) के विपरीत है।सुश्री मोहना ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया था कि 8 मार्च 2017 के बाद से प्रतिवादी संख्या 1 को नियुक्ति से इनकार करना और उस तारीख के बाद से उन्हें वेतन से इनकार करना अवैध था। उत्तरदाता संख्या 1 8 मार्च 2017 से तेलंगाना राज्य द्वारा नियुक्ति की तारीख तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वेतन का भुगतान करने का हकदार था।

डी.

ई.

च

43. सुश्री मोहना ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की पत्नी के तेलंगाना के लिए आवंटित तेलंगाना के स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते, प्रत्यर्थी संख्या 1 को तेलंगाना को आवंटित करने की आवश्यकता है।सुश्री मोहना ने तर्क दिया कि किसी भी मामले में प्रतिवादी संख्या 1 को तेलंगाना राज्य में सेवा से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि ठहराव का आदेश उनके पक्ष में चल रहा था।

जी.

44. सुश्री मोहना ने तर्क दिया कि 7 मार्च 2017 को रंगारेड्डी जिले के ए. टी. एम. ए. से प्रतिवादी नंबर 1 को रिहा किए जाने के बाद, उन्होंने तेलंगाना के पशुपालन विभाग को सूचित किया और अनुरोध किया कि उन्हें पोस्टिंग छोड़ दी जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

एच.

क.

45. याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 1 की दलीलों पर उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले और आदेश में सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक विचार किया है।उच्च न्यायालय ने कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“7. इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक अभ्यावेदन dt.26.06 दिया।2015 यह कहते हुए कि हालांकि उनका जन्म आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में हुआ था, उन्होंने तेलंगाना राज्य के खम्मम में कक्षा VIII, IX और X की पढ़ाई की थी और स्नातकोत्तर सहित बाद की शिक्षा भी तेलंगाना राज्य में थी और इसलिए उन्हें तेलंगाना राज्य के स्थानीय उम्मीदवार के रूप में माना जाना है; उन्हें शुरू में एपी द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से तेलंगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले के चेवेल्ला में सहायक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 1993 में लोक सेवा आयोग और उन्होंने केवल तेलंगाना राज्य में काम किया था; उनकी पत्नी सहायक पंजीयक के रूप में सहयोग आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक, तेलंगाना राज्य, हैदराबाद के कार्यालय में काम कर रही थीं; कि उन्हें शुरू में आंध्र प्रदेश के वर्तमान अवशिष्ट राज्य के कृष्णा जिले में कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो कि आंध्र प्रदेश सार्वजनिक रोजगार (स्थानीय संवर्गों का संगठन और प्रत्यक्ष भर्ती का विनियमन) आदेश, 1975 के अनुसार 'गैर-स्थानीय' श्रेणी के खिलाफ था, जिसे भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 371-डी के खंड (1) और (2) के तहत जारी किया था।1975 (इसे '1975 का राष्ट्रपति आदेश' भी कहा जाता है); दोनों राज्यों के बीच कर्मचारियों की विभाजन प्रक्रिया के दौरान, उन्हें 'सेवा करने के आदेश' कार्यवाही dt.31.05 के माध्यम से तेलंगाना राज्य को आवंटित किया गया था।2014 निदेशक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक के निदेशक के निदेशक

डी.

ई.

च

जी.

उन्होंने यह भी कहा कि उनके दो बच्चे हैदराबाद में पैदा हुए और पले-बढ़े, जिनकी उम्र क्रमशः 15 वर्ष और 12 वर्ष थी।

एच.

370 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

वे क्रमशः कक्षा 10 और 8 में थे, और यदि उन्हें ए. पी. राज्य में आवंटित किया जाता है, तो उनकी पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त निदेशक के संवर्ग में वरिष्ठता सूची के अनुसार, उनका पद क्रम संख्या 4 पर था और तेलंगाना राज्य में मौजूदा रिक्तियां हैं क्योंकि तेलंगाना राज्य से तीन संयुक्त निदेशक आंध्र प्रदेश को आवंटित किए गए थे।

इन घटनाओं के समय, याचिकाकर्ता प्रतिनियुक्ति पर तेलंगाना राज्य के कृषि विभाग में परियोजना निदेशक, एटीएमए, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद के रूप में काम कर रहे थे।"

ग

46. उच्च न्यायालय ने पाया कि ऊपर उल्लिखित कारकों के बावजूद और इस तथ्य के बावजूद कि प्रत्यर्थी संख्या 1 वास्तव में तेलंगाना राज्य के कृषि विभाग में परियोजना निदेशक, एटीएमए, रंगा रेड्डी जिला, हैदराबाद के रूप में काम कर रहा था, उस समय जब आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 1 को आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किया गया था।

डी.

47. उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय के 16 फरवरी 2016 के आदेश के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर कृषि विभाग में परियोजना निदेशक, ए. टी. एम. ए., रंगा रेड्डी जिले के रूप में काम करना जारी रखा था।प्रत्यर्थी संख्या 1 को 7 मार्च, 2017 को ए. टी. एम. ए., रंगा रेड्डी जिले के परियोजना निदेशक के पद से प्रत्यर्पित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने विशेष मुख्य सचिव, पशुपालन विभाग, तेलंगाना सरकार को कई अभ्यावेदन दिए कि उन्हें नियुक्ति दी जाए।हालाँकि, साढ़े चार वर्षों से अधिक समय तक कोई नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए थे और प्रतिवादी संख्या 1 को कोई वेतन नहीं दिया गया था।

ई.

च

48. 19 अक्टूबर, 2016 को या उसके आसपास श्रीमती. उत्तरदाता नंबर 1 की पत्नी बी. शांताबाई, जो पहले तेलंगाना में काम कर रही थीं, लेकिन बाद में 2017 में आंध्र प्रदेश को आवंटित की गईं, ने बी. गीतवानी के साथ आपसी आधार पर तेलंगाना में स्थानांतरण के लिए एक अभ्यावेदन दिया, जो अपने पति की स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए तेलंगाना में बने रहने में रुचि नहीं रखती थीं।उक्त अभ्यावेदन में, उन्होंने कहा कि वह अपनी वरिष्ठता को छोड़ने के लिए तैयार हैं और तेलंगाना राज्य में जोन-VI में काम करने वाले अंतिम नियमित सहायक पंजीयक से नीचे अंतिम रैंक लेने के लिए तैयार हैं।ऐसा प्रतीत होता है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने जी. ओ. एम. संख्या 51 कृषि और सहयोग (COOP.I) विभाग दिनांक 12 जून, ए.

जी.

एच.

2017 स्थानांतरण की अनुमति के अनुसार श्रीमती. बी. शांताबाई, तेलंगाना राज्य में प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी।

49. 14 जून 2017 को और उससे श्रीमती. बी. शांताबाई को सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय में सहायक पंजीयक के रूप में तैनात किया गया था।तथापि, प्रत्यर्थी संख्या 1 को तेलंगाना राज्य के लिए उनके विकल्प की अनदेखी करते हुए और दिनांक 30 अक्टूबर 2014 को जारी किए गए G.O.Ms संख्या 312 और विशेष रूप से सुविधा के लिए नीचे दिए गए पैरा 18 के खंड (1) का उल्लंघन करते हुए आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किया गया थाः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"सरकारी या राज्य सरकार के संस्थानों, स्थानीय निकायों में राज्य संवर्ग में पति या पत्नी और जिन्हें अधिनियम के अनुसार आवंटित माना जाता है, उन्हें उनके द्वारा किए गए विकल्पों और उनकी स्थानीय उम्मीदवारी पर विचार करने के बाद, जहां तक संभव हो, उसी राज्य को आवंटित किया जाएगा।पति या पत्नी जो किसी राज्य के स्थानीय उम्मीदवार हैं, उन्हें उस राज्य को आवंटित किया जाएगा।अलग-अलग राज्यों के रहने वाले जीवनसाथी को उनके विकल्पों पर विचार करने के बाद आवंटित किया जा सकता है।"

ग

डी.

50. आबंटन पैराग्राफ 18 के खंड (च) की आवश्यकता का भी उल्लंघन था जिसमें निर्देश दिया गया था कि आबंटन वरिष्ठता के क्रम में किया जाएगा जो उपलब्ध है।प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से, यह उचित रूप से तर्क दिया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति/पत्नी, जो तेलंगाना राज्य में पैदा हुए और शिक्षित हुए थे, उन्हें तेलंगाना राज्य के स्थानीय उम्मीदवार के रूप में माना जाना था।एक पति या पत्नी के रूप में, प्रतिवादी संख्या 1 को तेलंगाना राज्य को आवंटित किया जाना चाहिए था।

ई.

51. उच्च न्यायालय ने तेलंगाना राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे पर विस्तार से विचार किया और पाया किः

"28. तेलंगाना राज्य और उसके पशुपालन निदेशक जिन्हें प्रतिवादी संख्या के रूप में शामिल किया गया था।4 और 2016/डब्ल्यू. पी. के O.A.No.209 में 5। 2017 के (टी. आर.) No.5482 ने 2016 के O.A.No.209 में (डब्ल्यू. वी. एम. पी. (टी. आर.) के रूप में पुनः क्रमांकित) 2016 का जवाबी-शपथ पत्र/वी. एम. ए. संख्या 205 दायर किया।2017 का No.703) ऑर्डर dt.29.01 को खाली करने के लिए।2016 इसके द्वारा प्रदान किया गया और ओ. ए./डब्ल्यू. पी. को खारिज कर दिया गया।

च

जी.

29. उक्त जवाबी-हलफनामे में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता की पत्नी को कृष्णा जिले में नियुक्त किया गया था और जोन-II (जोनल कैडर पोस्ट) में सहायक पंजीयक के रूप में पदोन्नत किया गया था, कि उनकी वरिष्ठता भी उक्त क्षेत्र में घोषित की गई थी जो आंध्र प्रदेश राज्य में आती है और ए. पी. की धारा 77 (2) के अनुसार।

एच.

पुनर्गठन अधिनियम, 2014 उन्हें केवल उक्त राज्य में काम करना है।

30. इसलिए, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता है कि उसकी पत्नी तेलंगाना राज्य में काम कर रही है और 'जीवनसाथी' के आधार पर तेलंगाना राज्य को आवंटन का दावा कर सकती है।

31. यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपनी स्थानीय उम्मीदवारी के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है और इसलिए उसे उक्त राज्य में पदों की उपलब्धता के आधार पर गृह राज्य आंध्र प्रदेश को आवंटित किया गया है।

32 .हालाँकि यह कहा गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य को उनके अस्थायी आवंटन और उनकी पत्नी की स्थानीय स्थिति के बारे में याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को सहकारी समितियों के आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक, हैदराबाद और बाद वाले videLr.Roc.No.778/MINC 2014 dt.22.04 को भेजा गया था।2015 सूचित किया कि उस तारीख तक याचिकाकर्ता की पत्नी हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के सहकारी समितियों के आयुक्त और पंजीयक के कार्यालय में सहायक पंजीयक के रूप में काम कर रही है।

ग

डी.

33. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने जिला परियोजना कार्यालय, राजीव विद्या मिशन में संयुक्त निदेशक (पशुपालन) के रूप में काम करते हुए विकल्प प्रपत्र के पैरा 18 (i) के संदर्भ में तरजीही दावे के अनुसार तेलंगाना राज्य के लिए अपने विकल्प का उपयोग करते हुए पशुपालन विभाग को विकल्प प्रपत्र प्रस्तुत किया था और अपने जीवनसाथी का विवरण भी संलग्न किया था, लेकिन उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, और निर्णय अंतिम आवंटन के दिशानिर्देशों के अनुसार लिया गया था।

ई.

च

34. 2017 के W.P.No.24820 में, तेलंगाना राज्य और पशुपालन विभाग के निदेशक ने एक काउंटर दायर किया जिसमें कहा गया कि पैरा संख्या के अनुसार। G.O.Ms.No.312 dt.30.10 का 18 (i)।2014,'जो कर्मचारी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, उनके विकल्प के आधार पर आवंटन के लिए विचार किया जाएगा यदि वे स्थानीय उम्मीदवार हैं; वह याचिकाकर्ता आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले का एक स्थानीय उम्मीदवार है; और इसलिए, याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता है कि उसका आवंटन आंध्र प्रदेश राज्य को किया गया है। गलत है।35. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता की पत्नी 2017 में तेलंगाना राज्य में शामिल हुई थी, लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता गलत तरीके से ए

जी.

एच.

373

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. v.बी. सुब्बा रायडू और अन्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

उसने दलील दी कि उसकी पत्नी 2016 की O.A.No.209 दाखिल करने के समय तेलंगाना राज्य में काम कर रही थी और उक्त याचिका सही नहीं है।

36. यह कहा गया है कि हालांकि याचिकाकर्ता ने 2016 के 16.02.2016in W.P.No.4391 पर आदेश प्राप्त किया कि उन्हें तेलंगाना राज्य के कृषि विभाग में परियोजना निदेशक, ए. टी. एम. ए., रंगा रेड्डी जिले के पद से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें राहत दी गई क्योंकि तेलंगाना राज्य में जिलों के पुनर्गठन के समय, ए. टी. एम. ए. योजना को एक नीतिगत निर्णय के अनुसार किसान प्रशिक्षण केंद्रों आदि के साथ विलय कर दिया गया था।"

ग

52. आंध्र प्रदेश राज्य ने उच्च न्यायालय में कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया।भारत संघ की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है जिसमें स्वीकार किया गया है कि संयुक्त निदेशकों के 14 पद आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किए गए थे और 09 पद तेलंगाना राज्य को आवंटित किए गए थे।संयुक्त निदेशक के संवर्ग में आवंटित कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत संवर्ग की संख्या से 27 अधिक थी।अतिरिक्त आबंटित कर्मचारियों को दिशानिर्देशों के अनुसार जनसंख्या अनुपात पर उत्तराधिकारी राज्यों के बीच आवंटित किया गया था।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने आंध्र प्रदेश राज्य के स्थानीय होने के बावजूद तेलंगाना का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 18 (एफ) के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किया गया था, क्योंकि तेलंगाना में भरे गए पदों में कोई रिक्ति नहीं थी।

डी.

ई.

53. भारत संघ ने तर्क दिया कि तेलंगाना के स्थानीय होने के आधार पर तेलंगाना को आवंटन के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के अनुरोध को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनकी पत्नी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रीय संवर्ग से संबंधित थी।

च

54. उच्च न्यायालय ने कहाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“46. उक्त जी. ओ. के पैरा 18 में दिशानिर्देशों/सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है जिनका कर्मचारियों के आवंटन के उद्देश्य से पालन किया जाएगा।

जी.

47. पैरा 18 के खंड (ई) में कहा गया है कि 'राज्य सेवा के कर्मचारी जो आबंटित पदों पर हैं, उन्हें उनके विकल्प को ध्यान में रखते हुए उत्तराधिकारी राज्यों में से किसी एक में सेवा करने के लिए उनकी वरीयता का संकेत देते हुए कर्मचारियों से विकल्प लेने के बाद आवंटित किया जाएगा।’

एच.

48. मान लीजिए**,** याचिकाकर्ता ने उन्हें **07.03.2015** पर तेलंगाना राज्य को आवंटित करने का विकल्प दिया।

49. यह सच है कि समग्र आंध्र प्रदेश राज्य के पशुपालन विभाग में कुल 23 पदों में से 9 पद तेलंगाना राज्य को आवंटित किए गए थे और 14 पद शेष आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किए गए थे।

50. दिशानिर्देशों के खंड 18 (सी) में कहा गया है कि आबंटित कर्मचारियों को 01-06-2014 पर उपलब्ध वरिष्ठता सूची के आधार पर उत्तराधिकारी राज्य के बीच आवंटन के लिए विचार किया जाएगा।

ग

XXX

XXX

XXX

53. आंध्र प्रदेश के समग्र राज्य में संयुक्त निदेशकों (खंड-ए) की वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता की स्थिति 02.06.2014was क्र. सं. नं. 4।

54. तानिकोंडा दामोदर नायडू, कोनेटी वेंकट रमण, M.Srinivasa राव, जो आंध्र प्रदेश के स्थानीय उम्मीदवार थे, उन तीन लोगों ने आंध्र प्रदेश राज्य का चुनाव किया और उन्हें अस्थायी रूप से आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किया गया, जैसा कि अधिसूचना दिनांक से देखा जा सकता है।12.06.2015 आंध्र प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन (एस. आर.) विभाग द्वारा जारी किया गया और अंतिम आवंटन आदेश संख्या 5 (2)/2016 के अनुलग्नक-I के अनुसार भी।14.1.2016.

डी.

ई.

55. इसलिए, याचिकाकर्ता तेलंगाना राज्य का चयन करने के लिए संयुक्त निदेशक वर्ग-ए के संवर्ग में व्यक्तियों में सबसे वरिष्ठ है।

च

XXX

XXX

XXX

57. इसके बाद खंड 18 के उपखंड (च) का अंतिम भाग जिसमें कहा गया है कि 'यदि उस श्रेणी में आबंटित पद बने रहते हैं, तो जिन अन्य लोगों ने राज्य का विकल्प चुना है, उन्हें वरिष्ठता के क्रम में आवंटित किया जा सकता है' याचिकाकर्ता की सहायता के लिए आएगा और क्योंकि वह संयुक्त निदेशक-वर्ग ए के संवर्ग में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इसलिए तेलंगाना राज्य को स्थायी रूप से आबंटन के उनके दावे को उक्त संवर्ग में उनके सभी कनिष्ठों के दावों पर प्रधानता होगी।

जी.

एच.

375

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. v.बी. सुब्बा रायडू और अन्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

क.

58. पैरा 18 के खंड (च) द्वारा निर्धारित उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करने के बजाय, भारत संघ द्वारा अपने काउंटर के पैरा-6 में एक अजीब व्याख्या दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 'तेलंगाना में भरे हुए पदों के भीतर रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण', याचिकाकर्ता, हालांकि उसने तेलंगाना राज्य का विकल्प चुना था, लेकिन उसे आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित करना पड़ा।59. इससे पता चलता है कि भारत संघ ने याचिकाकर्ता की वरिष्ठता या इस तथ्य को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया कि वह तेलंगाना राज्य का चयन करने के लिए संयुक्त निदेशक वर्ग-ए के कैडर में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, जो 'तेलंगाना के मूल निवासी' व्यक्तियों द्वारा तेलंगाना राज्य को आवंटित रिक्तियों को भरने के लिए आगे बढ़े, और फिर यह रुख अपनाया कि तेलंगाना राज्य में कोई रिक्तियां नहीं हैं, जहां याचिकाकर्ता को समायोजित किया जा सकता है।यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से दिशानिर्देशों के पैरा 18 (एफ) के विपरीत है।

ग

XXX

XXX

XXX

डी.

62. आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे में, 2016 का inO.A.No.209/V. M. A. संख्या, 2016 का 398/W. P. में W.V.M.P. (TR) No.701of 2017। 2017 के पैरा-6 (च) में कहा गया है कि सहकारिता समितियों के पंजीयक, हैदराबाद के आयुक्त ने Lr.No.778 विविध/2014 dt.22.04 में कहा था।2015 याचिकाकर्ता की पत्नी हैदराबाद में अपने कार्यालय में सहायक पंजीयक के रूप में काम कर रही थी।मान लीजिए, याचिकाकर्ता की पत्नी को शुरू में शेष आंध्र प्रदेश राज्य में आने वाले क्षेत्र-II में 'गैर-स्थानीय' श्रेणी में नियुक्त किया गया था, क्योंकि वह तेलंगाना राज्य के लिए एक 'स्थानीय उम्मीदवार' थी।अंततः उन्हें जून, 2017 में तेलंगाना राज्य में पारस्परिक स्थानांतरण पर तैनात किया गया था।

ई.

च

63. इसलिए, भारत संघ याचिकाकर्ता की पत्नी के आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्रीय संवर्ग से संबंधित होने पर पति या पत्नी के आधार पर तेलंगाना राज्य में नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता है।तेलंगाना राज्य यह भी तर्क नहीं दे सकता कि याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से कहा कि उसकी पत्नी तेलंगाना राज्य में काम कर रही थी और वह 'तेलंगाना राज्य से संबंधित नहीं है'।XXX XXX XXX

जी.

एच.

65. इसलिए, याचिकाकर्ता तेलंगाना राज्य को आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने में उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान दिए बिना पति या पत्नी के आधार पर भी तेलंगाना राज्य और भारत संघ को आवंटित किए जाने का हकदार था।

XXX

XXX

XXX

68. इसके अलावा चूंकि याचिकाकर्ता ने तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में कक्षा VIII से X तक की पढ़ाई की थी और वह कहता है कि स्नातकोत्तर, वह तेलंगाना राज्य में पढ़ता है, राष्ट्रपति आदेश, 1975 के पैरा 7 के तहत, वह केवल तेलंगाना राज्य का एक स्थानीय उम्मीदवार है, लेकिन इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए और केवल आंध्र प्रदेश राज्य में कडप्पा के रूप में अपने जन्म स्थान को ध्यान में रखते हुए, उसे आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक 'स्थानीय उम्मीदवार' के रूप में गलत तरीके से माना गया।इसलिए पैरा 18 के खंड (i) के तहत भी याचिकाकर्ता तेलंगाना राज्य को आवंटित किए जाने का पात्र है।

ग

डी.

XXX

XXX

XXX

75. यह याचिकाकर्ता का तर्क है कि 2016dt.14.01 का आदेश संख्या 5 (2)।2016 याचिकाकर्ता को आंध्र प्रदेश राज्य को स्थायी रूप से आवंटित करते हुए पैरा नं.2 यह कि यह किसी भी व्यक्ति के संबंध में प्रभावी नहीं होगा जिसने किसी भी उत्तराधिकारी राज्य को अपने आवंटन के खिलाफ अदालत से 'स्थगन आदेश' प्राप्त किया है, जब तक कि ऐसा स्थगन आदेश खाली नहीं हो जाता है; और चूंकि 2016 के रिट PetitionNo.4391 में डिवीजन बेंच द्वारा याचिकाकर्ता को उसकी

वर्तमान पोस्टिंग से परेशान नहीं होने का निर्देश देने वाला आदेश इस तरह के 'स्थगन आदेश' की प्रकृति में है, इसलिए याचिकाकर्ता को आंध्र प्रदेश राज्य को रिपोर्ट करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

ई.

च

76. हम याचिकाकर्ता के तर्क में बल पाते हैं और इससे सहमत होते हैं।

जी.

77. इसलिए याचिकाकर्ता को तेलंगाना राज्य द्वारा उक्त राहत आदेश या स्थायी आवंटन आदेश F.No.29 01/2016-SR (S) dt के आधार पर अब तक 8.3.2017 से वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता है।14.01.2016 (आदेश संख्या 5 (2)/2016) कार्मिक, स्नातकोत्तर और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार।"

एच.

377

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. v.बी. सुब्बा रायडू और अन्य [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

क.

55. उच्च न्यायालय के सुविचारित आदेश में कोई कमजोरी नहीं है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति के प्रयोग में इस न्यायालय के हस्तक्षेप का आह्वान करता है।जैसा कि सुश्री मोहना ने तर्क दिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र विवेकाधीन है।भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का उपयोग सामान्य रूप से दिशानिर्देशों की संकीर्ण, कठोर और पांडित्यपूर्ण व्याख्या पर अति तकनीकीता का सहारा लेकर अन्यथा न्यायसंगत और उचित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

56. मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के समय याचिकाकर्ता को तेलंगाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में तैनात किया गया था।याचिकाकर्ता को एक विकल्प का उपयोग करने की आवश्यकता थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया।यह विवाद में नहीं है कि कुल 23 पदों में से 9 पद तेलंगाना राज्य को और 14 आंध्र प्रदेश राज्य को आवंटित किए गए थे।दिशानिर्देशों के अनुसार, आवंटित कर्मचारियों पर 1 जून 2014 को वरिष्ठता के आधार पर विचार किया जाना था।

ग

57. जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया, याचिकाकर्ता की स्थिति 1 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के समग्र राज्य में वरिष्ठता में चौथी थी।उनसे वरिष्ठ 3 लोग आंध्र प्रदेश के स्थानीय उम्मीदवार थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश को चुना था।तेलंगाना को चुनने वाले अधिकांश कर्मचारियों में उत्तरदाता संख्या 1 वरिष्ठ थे।उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वरिष्ठता को कोई महत्व नहीं देते हुए दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 18 के खंड (च) की अजीब व्याख्या पर तेलंगाना को आवंटन से इनकार कर दिया था।उच्च न्यायालय ने तथ्यों पर पाया कि इस तथ्य को कोई महत्व नहीं दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 का जीवनसाथी तेलंगाना का स्थानीय था।

डी.

ई.

58. आंध्र प्रदेश लोक रोजगार आदेश 1975 और विशेष रूप से उसके पैराग्राफ 4 के साथ पढ़े गए दिशानिर्देशों की संभावित व्याख्या पर, उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 तेलंगाना राज्य का स्थानीय उम्मीदवार था।मान लीजिए, उन्होंने तेलंगाना राज्य के खम्मम में आठवीं से दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की।इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक और पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर किया।उन्होंने 1985 से 1992 तक 7 साल तक उस संस्थान में अध्ययन किया, जिस वर्ष वे योग्यता परीक्षा में शामिल हुए थे।

च

जी.

59. संविधान के तहत, भारत राज्यों का एक संघ है।प्रत्येक राज्य का प्रत्येक भाग भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। मान लीजिए,

एच.

उत्तरदाता का जन्म भारत में हुआ था।उसके क्षेत्र में उसका अधिवास है

भारत।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 7 में अभिनिर्धारित किया गया है,

भारतीय संविधान के तहत, देश का केवल एक अधिवास यानी अधिवास है और किसी राज्य के लिए कोई अलग अधिवास नहीं है।

60. संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत राज्यों को संघ में शामिल करने और नए राज्यों का गठन करने और/या राज्य का पुनर्गठन करने की शक्ति, शक्ति की अपनी प्रकृति में व्यापक है और इसका प्रयोग आवश्यक रूप से काफी जटिलता वाले राजनीतिक मुद्दों द्वारा निर्देशित है, जिनमें से कई न्यायिक रूप से प्रबंधनीय नहीं हो सकते हैं।

61. अनुच्छेद 3 संसद को किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के कुछ हिस्सों को देकर या किसी भी क्षेत्र को किसी भी राज्य के एक हिस्से में मिलाकर कानून बनाने और एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है।अंतर्राष्ट्रीय कानून में संप्रभुता के परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्य के क्षेत्र के पुनर्गठन पर लागू नहीं होते हैं।

ग

62. जब क्षेत्र का ऐसा समायोजन या पुनर्गठन होता है, तो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूदा कानून के साथ-साथ प्रशासनिक आदेश लागू रहते हैं और उत्तराधिकारी राज्य पर तब तक बाध्यकारी बने रहते हैं जब तक कि वे उत्तराधिकारी राज्य द्वारा शासित, परिवर्तित या अस्वीकार नहीं किए जाते हैं।

डी.

63. यह विवाद में नहीं है कि प्रत्यर्थी का भारत के क्षेत्र में अधिवास है और वह भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था।मान लीजिए, वह इस देश का नागरिक है।भारत के नागरिक के रूप में, प्रतिवादी को अनुच्छेद 19 (1) (ई) के तहत भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का मौलिक अधिकार है।

ई.

64. भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 (2) के तहत राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से मना किया गया है जो भारत के संविधान के भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या उनका उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 13 (2) के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून, उल्लंघन की सीमा तक अमान्य होगा।

च

65. सरकार द्वारा बनाए गए सभी कानूनों और सभी नियमों, विनियमों और उप-कानूनों, जो कानून का गठन करते हैं, को भारत के संविधान के भाग-III के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।

जी.

7 एयर 1984 एससी 1420 ए

एच.

379

तेलंगाना राज्य और ए. एन. आर. v.बी. सुब्बा रायडू और अन्य [इंदिरा बनर्जी, जे.]

66. आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2014 या इसके तहत बनाए गए किसी भी अन्य दिशानिर्देश, जिसमें 30.10.2014 पर प्रसारित दिशानिर्देश शामिल हैं, नागरिकों से देश के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं।

67. यह सच है कि जब किसी राज्य को विभाजित किया जाता है और राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को दोनों राज्यों को आवंटित किया जाता है, तो ऐसा आवंटन नियमों और विनियमों के आधार पर और दिशानिर्देशों द्वारा किया जाता है।

68. हालाँकि, ऐसे नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से समझा जाना चाहिए।यह सच है कि प्रतिवादी का जन्म एक ऐसे क्षेत्र में हुआ होगा जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और हो सकता है कि उसने अपनी शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों में प्राप्त किया हो जो अब आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा हैं।हालाँकि, उन्होंने तेलंगाना राज्य के भीतर के क्षेत्रों से सभी बोर्ड और विश्वविद्यालय परीक्षाओं को पास किया।विभाजन के समय, वह हैदराबाद में तैनात थे, जो अब तेलंगाना का हिस्सा है।

ग

डी.

69. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों को कर्मचारियों और अधिकारियों के आवंटन के लिए 30.10.2014 पर प्रसारित दिशा-निर्देश निर्देशिका हैं और लचीले नहीं हैं।आंध्र प्रदेश लोक रोजगार आदेश, 1975 के साथ पठित भारतीय संविधान के दर्शन के आलोक में दिशानिर्देशों की उदार व्याख्या पर, जो विभाजन के समय लागू था, और उपरोक्त दिशानिर्देशों के तहत भी प्रतिवादी पर लागू होता है, उच्च न्यायालय सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी तेलंगाना का एक स्थानीय उम्मीदवार था और दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 18 (एफ) के संदर्भ में अपनी वरिष्ठता के अनुसार आवंटन का हकदार था।इसके अलावा, निश्चित रूप से, प्रतिवादी का जीवनसाथी तेलंगाना का एक स्थानीय उम्मीदवार था।

ई.

च

70. हमारे सुविचारित विचार में, एकल पीठ के निर्णय की पुष्टि करने वाले उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित निर्णय और आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है।

जी.

71. तदनुसार, विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

एसएलपी को खारिज कर दिया गया।

एच.